तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

18-5-2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट भीमरलाई मे पेश हुई।

प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा एवं हल्का पटवारी गोल सोड़ा के विरूद्ध खसरा सं. 146 रकबा 45.17 बीघा, खसरा सं. 217 रकबा 79 बीघा, खसरा सं. 243 रकबा 60.04 बीघा कुल रकबा 185 बीघा 01 विस्वा सरहद मौजा भीमरलाई के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया, और निवेदन किया कि भूमि को मौजुदा अभिलेख में दौराने दावा किसी भी प्रकार की कार्यवाही या रेकर्ड में परिवर्तन नही करे, इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावे।

हमने उपस्थित पक्षो की बहस सुनी। दौराने बहस विप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि उक्त प्रकरण से सम्बधित मूल वाद पत्र के वादीगण द्वारा एक अन्य विविध प्रार्थना पत्र संख्या 124/2013 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टंया मामला मानकर विप्रार्थीगण रामाराम वगैरा के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिससे वर्तमान उक्त प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, प्रकरण के प्रार्थीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि से कोई सरोकार नही है।

हमने उभयपक्षो को सुना, मजमें आम में चर्चा की, तथा पत्रावली एवं इस प्रकरण से सम्बधित अन्य पत्रावलीयो का अवलोकन व अध्ययन किया। चुकि उक्त प्रकरण से सम्बधित अन्य विविध प्रार्थना पत्र सं. 124/2013 में प्रकरण के प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णिय क्षति मानकर विप्रार्थीगण रामाराम वगैरा के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुंकि है, इसलिये प्रकरण सं. 124/2013 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से भिन्न आश्य की किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. भीमरलाई

Scanned by CamScanner